केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/251 दिनांक: 18.08.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00244
CICOM/R/2017/00853

अपीलकर्ता : श्री जितेन्द्र कुमार रवि, पिता - श्री अर्जुन साह,
ग्राम- कमालपुर सिंघिया,
पो0 व थाना - विदुपुर,
ज़िला - वैशाली, बिहार ।

निर्णय की तारीख : 18.08.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.07.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.07.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	08.08.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	156326/14.08.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 08.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 05.06.2017 को दाखिल द्वितीय अपील पर की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल किया है तथा अनुरोध किया है कि स्पष्ट जानकारी दी जाए ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा दिनांक 20.07.2017 को प्रदान की गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता का उक्त पत्र (अपील) फाइल सं. CIC/RAILB/A/2017/139040 के तहत पंजीकृत किया गया है । अपीलकर्ता को आगे सूचित किया जाता है कि उक्त द्वितीय अपील (फाइल सं. CIC/RAILB/A/2017/139040) की सुनवाई निर्धारित होने पर संबंधित सूचना आयुक्त के उप-पंजीयक द्वारा उन्हें सूचित किया जाएगा । इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि आयोग में द्वितीय अपील की सुनवाई पहले आओ - पहले पाओ के आधार पर होती है अर्थात जो अपील आयोग में पहले आई है उसकी सुनवाई पहले की जाएगी । अतः अपनी बारी की प्रतीक्षा करें ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अतः प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न दस रु0 का पोस्टल आर्डर सं. 38 एफ 395458 आपको वापस किया जाता है ।

संलग्नक - यथोपरि ।

O/C

राकेश

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

Ash 21/08/17

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
21 AUG 2017
D. No.........
Initials.........